467

निग0 839-I-15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–छतरपुर

श्याम गिरि पुत्र पुत्र श्री जमुना गिरि ब्राह्मण, निवासी ग्राम दौनी, तहसील लवकुशनगर, जिला – छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा – कलेक्टर, जिला छतरपुर (म.प्र.) .....अनावेदक

न्यायालय नायब तहसीलदार पठा तहसील, लवकुशनगर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 06/अ–68/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 19.12.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है

1. यहकि, आवेदक लगभग 40 वर्ष से ग्राम दौनी में स्थित श्रीनरसिंह भगवान के आश्रम में निवासरत् होकर भगवान की पूजा, अर्चना एवं धार्मिक कार्यो तथा अनुष्ठानों को करवाता है।
2. यहकि, ग्राम दौनी में स्थित आराजी नम्बर 412/5 में श्री नरसिंह भगवान का मंदिर बना हुआ है तथा इसी में नरसिंह भगवान का आश्रम बना हुआ है, जो सन् 1977 से राजस्व अभिलेख में मंदिर एवं बाजार हेतु रकवा 1.000 भूमि दर चली आ रही है, लगभग 40 वर्ष से आवेदक आश्रम में रहकर भगवान की पूजा–अर्चना करता है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि पर कहीं कोई अतिक्रमण नहीं किया है, धर्म प्रेमियों की सुविधा हेतु नरसिंह भगवान के आश्रम में नरसिंह भगवान की भूमि पर 10–11 वर्ष पूर्व टीन शेड का निर्माण कराया गया था, जिसके आधार पर पटवारी हल्का दौनी द्वारा आवेदक के विरूद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट श्रीमान् नायब तहसीलदार पठा के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसके पश्चात् आवेदक को एक कारण बताओं सूचनापत्र जारी किया गया, जिसका आवेदक द्वारा विधिवत रूप से जबाव प्रस्तुत किया एवं कारण बताओं सूचनापत्र अवैध होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।
3. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, पठा द्वारा आवेदक के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 06/अ–68/2014–15 पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी। चंकि इस प्रकरण

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

2

प्रकरण क्रमांक- निग.-839-एक/2015 जिला-छतरपुर

श्याम गिरि विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित । आवेदक अभिभाषक की ओर से नायब तहसीलदार पठा, तहसील लवकुशनगर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 06/अ-68/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 19-12-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 20-04-2015 को मुख्यालय ग्वालियर में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

09/1/19

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

09/01/19

(आर.के. जैन)
सदस्य